संसद के समक्ष अभिभाषण – 20 फरवरी 1978

लोक सभा	-	छठी लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. एन. संजीव रेड्डी
भारत के उपराष्ट्रपति	-	श्री बी.डी. जत्ती
भारत के प्रधानमंत्री	-	श्री मोरारजी देसाई
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्री के.एस. हेगड़े

माननीय सदस्यगण,

मैं इस साल के पहले संसद सत्र में आपका स्वागत करता हूं। भारत के राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद संसद को संबोधित करने का यह मेरा पहला मौका है। यों तो इस समय ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिए लेकिन इस समय मेरा मन उन लोगों के लिए व्याकुल है जिन्हें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी* और लक्षद्वीप में कहर ढाने वाले समुद्री तूफानों में अपनी जान और माल से हाथ धोने पड़े। उनके जो सगे-संबंधी बचे हैं उनके लिए भी मेरा मन बहुत परेशान है। मेरी सरकार ने इसे राष्ट्रीय विपत्ति माना है और इसके लिए हर मुमकिन मदद दी है और राहत कार्य संगठित करने में संबंधित राज्य सरकारों के साथ पूरा सहयोग किया है। हमारे देश के हर हिस्से के लोगों ने खुले दिल से उदारता के साथ योगदान दिया है और उनकी इस मदद के लिए मैं हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं।

आम चुनावों के बाद इन महीनों में संसद और सरकार ने संविधान में दी गई स्वतंत्रताओं और संरक्षणों को जनता को फिर से पूरे तौर पर हासिल कराने के लिए तेजी से काम किया है। न्यायालयों को उनकी शक्तियां दोबारा हासिल हो गई हैं। समाचार-पत्र स्वतंत्र हैं। नागरिकों को उनकी स्वतंत्रता पर मनमानी रोक-टोक लगने का अब कोई डर नहीं है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के आपसी संबंधों में और इनके साथ नागरिकों के संबंधों में फिर से संतुलन बनाने के वायदे को कदम-ब-कदम पूरा किया जा रहा है। दरअसल, संविधान में किए जाने वाले कुछ संशोधनों को छोड़ कर, बाकी काम लगभग पूरा हो चुका है।

---
*अब पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है।

सरकार को जो जनादेश मिला उसके मुताबिक इसके सामने सबसे पहला काम यह था कि संविधान में जोड़े गये निरंकुशता से संबंधित उपबंधों को हटाया जाए। संविधान (चवालीसवां संशोधन) विधेयक को संसद के दोनों सदनों ने पास कर दिया है और यह अब राज्यों के विधानमंडलों के पास अनुसमर्थन के लिए भेजा गया है। इससे न्यायालयों के अधिकार-क्षेत्र पर लगी तरह-तरह की पाबंदियां दूर हो जाएंगी। विरोधी दलों के नेताओं के साथ विस्तार से चर्चा के बाद, संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम से संविधान का जो रूप बिगड़ गया था उसे ठीक करने के लिए एक व्यापक विधेयक का मसौदा तैयार कर लिया गया है। यह विधेयक इसी सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। मुझे आशा है इसे दोनों सदनों के सभी वर्गों का जल्द ही पूरा सहयोग मिलेगा ताकि काले धब्बों को मिटा कर संविधान को इसके असली रूप में फिर से ला सकें। लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों को नकारते और उलटने के लिए संविधान का ही उपयोग करने की किसी कोशिश की संभावना न रह जाए, इसके ठोस उपाय करने की खास जरूरत है।

कानून की निगाह में बराबरी के सिद्धांत को दूषित करने, भ्रष्टाचारपूर्ण तरीकों की धारणा को बदलने और न्यायालयों में अपील करने की शक्तियों को कम करने के लिए चुनाव कानूनों में कई परिवर्तन कर दिये गए थे। अब उन्हें निरस्त कर दिया गया है। जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम में 1974 तथा 1975 में किए गए संशोधनों को हटाने के लिए एक विधेयक आपके सामने पेश है जिससे इन संशोधनों से पहले जो लोकतांत्रिक तत्व इस कानून में मौजूद थे, उन्हें बहाल किया जा सके। इस तरह गैर-लोकतांत्रिक हस्तक्षेपों को दूर किया जा रहा है, लेकिन चुनाव कानूनों और कार्य-पद्धतियों में बुनियादी सुधार करने की जरूरत बनी हुई है, ताकि चुनाव-प्रक्रिया को अधिक न्याय-संगत तथा नुकसानदेह प्रभावों के प्रति ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। सरकार इस मसले पर विस्तार से गौर कर रही है और वह शीघ्र ही अपने प्रस्ताव राजनीतिक दलों के सामने पेश करेगी।

जनता सच्चे मन से यह चाहती है कि राजनीति और सभी स्तरों पर प्रशासन अधिक स्वच्छ हो। जब तक ऊंचे पदों पर आसीन व्यक्तियों की ईमानदारी में विश्वास नहीं जमेगा, तब तक सांविधानिक सरकार का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। आपातकाल में हुई ज्यादतियों और अपने पदों का गलत इस्तेमाल करने वाले कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए गठित आयोग अपने कठिन कामों में लगे हुए हैं। जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा भ्रष्टाचार तथा अपनी शक्तियों के गलत इस्तेमाल के विरुद्ध व्यावहारिक तथा विश्वसनीय सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए तैयार किया गया लोकपाल विधेयक आपके सामने पेश है। सभी संसद सदस्यों को अपनी परिसम्पत्तियों, देनदारियों तथा कारबारी संबंधों के बारे में घोषणा करने के लिए सरकार एक विधेयक पेश करेगी।

एक सचेत जनमत ही विधि-संगत शासन तथा ईमानदार और कुशल लोकतांत्रिक सरकार को सुनिश्चित कर सकता है। आपत्तिजनक सामग्री का प्रकाशन निवारण अधिनियम को निरस्त करके तथा संसद कार्यवाही (प्रकाशन की सुरक्षा) अधिनियम को बहाल करके संसद ने समाचार-पत्रों को एक बार फिर से व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा समाज के कल्याण के प्रहरी के रूप में कार्य करने में समर्थ बना दिया है। समाचार एजेंसियों पर सभी प्रकार के नियंत्रणों को हटाने के लिए सरकार ने स्वयं पहल की है। प्रेस के कार्य-निष्पादन का जायजा लेने का काम प्रेस परिषद् जैसे व्यावसायिक संगठनों पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि प्रेस परिषद् जल्द ही फिर से काम करने लगेगी। सरकार का विचार है कि वह एक प्रेस आयोग बनाए जो देश में मजबूत तथा स्वतंत्र समाचार-पत्रों और समाचार सेवाओं का विकास करने की और सुविधाएं देने की उपयुक्त सिफारिशें दे सके।

जून, 1977 में राज्य विधान सभाओं के लिए चुनावों के दौरान सभी राजनीतिक दलों को आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर अपना प्रचार करने की सुविधा देने से हमारे संचार माध्यमों के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। सरकार ने यह बात साफ-साफ कह दी है कि सरकारी संचार माध्यमों का दलगत उद्देश्यों के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा। आकाशवाणी और दूरदर्शन को अधिक स्वायत्तता देने के प्रश्न पर विचार कर रहे एक कार्यकारी दल की रिपोर्ट की सरकार प्रतीक्षा कर रही है।

सरकार द्वारा आंतरिक सुरक्षा अधिनियम का पूरे तौर पर रिव्यू किया जा चुका है और मीसा को निरस्त करने तथा दण्ड-प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पहले ही पेश किया जा चुका है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि भारत की रक्षा और सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और समाज के जीवन-यापन के लिए अनिवार्य पूर्तियों और सेवाओं को बनाए रखने के हित में न्यूनतम आवश्यक कानूनी प्रावधान तो रखे ही जाएं, लेकिन साथ ही ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने में किसी भी प्रकार की मनमानी को रोकने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाये और यदि जरूरत पड़े तो उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा मनोनीत न्यायाधीशों के बोर्डों से रिव्यू भी कराया जाए।

राष्ट्रीय जीवन के कुछ क्षेत्रों में, जनता की दबाई गई भावनाएं तरह-तरह के विरोध-प्रदर्शनों और आंदोलनों के रूप में व्यक्त हुई हैं। इसके साथ ही, प्रतिबंधों को हटाने से, समाज के कुछ वर्गों ने हिंसा, आतंक और तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों में भाग लेना आरम्भ कर दिया है। विदेशों में भी कर्मचारियों और सम्पत्ति को हानि पहुंचाने की घटनाएं हुई हैं तथा धमकियां भी मिली हैं। कोई भी ऐसा वर्ग जिसके साथ न्याय न हुआ हो, अपनी न्यायोचित शिकायतों को सांविधानिक माध्यमों को दूर करवा सकता है लेकिन सरकार हिंसा तथा अराजकता को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और इस प्रकार की कार्रवाई करने वालों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जायेंगे ताकि ये दोबारा

न हों। केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही नहीं बल्कि नागरिकों, विशेषकर कमजोर वर्ग के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए देश की पुलिस को जन-सेवा का एक प्रभावी साधन बनाना होगा। इस संबंध में सरकार ने प्रशासन को विस्तृत निर्देश जारी किये हैं। चूंकि भारतीय पुलिस अधिनियम बहुत पहले 1861 में बनाया गया था और अंतिम पुलिस आयोग 1902 में गठित किया गया था, इसलिए सरकार ने देश में पुलिस प्रशासन से सम्बद्ध सभी महत्वपूर्ण मामलों की जांच करने और इसके बारे में सिफारिशें देने के लिए एक राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन किया है।

सरकार इस बात को सर्वोच्च महत्व देती है कि अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों तथा उनके हितों की सुरक्षा संबंधी उपायों को लागू किया जाए। सरकार यह महसूस करती है कि इन वर्गों को राष्ट्र के प्रमुख कार्यों में अन्य वर्गों के समान स्तर पर प्रभावकारी तथा स्वतंत्र रूप में भाग लेने में समर्थ बनाने के लिए स्थायी संस्थागत प्रबंध करने आवश्यक हैं। अतः इसके लिए निम्नलिखित आयोग गठित किए जा रहे हैं:—

(1) सांविधानिक सुरक्षणों को लागू करने तथा संघ एवं राज्य सरकारों द्वारा पास किए गए कानूनों की सुरक्षा के लिए अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया जा रहा है।

(2) संविधान और कानूनों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को जो सुरक्षा दी गई है उससे संबंधित सभी मामलों की जांच करने के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया जा रहा है।

पिछले साल अर्थव्यवस्था का ठीक तरह संचालन हुआ जिसकी वजह से यह अब इतनी अच्छी अवस्था में है कि अगले साल तेज प्रगति की जा सकती है। इस सरकार के कार्यभार संभालने से पहले वाले साल में अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर 2 प्रतिशत से भी कम थी जबकि इस साल यह बढ़कर 5 प्रतिशत हो गई है। कृषि उत्पादनों में पिछले वर्ष में हुई कमी को पूरा कर लिया गया है और उम्मीद है कि अन्न का उत्पादन 1180 लाख टन से ज्यादा ही होगा। वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में भी वर्तमान वर्ष में बहुत अधिक बढ़ोत्तरी हुई है। हालांकि निर्यात अर्जन में कमी आई है फिर भी भुगतान संतुलन मजबूत रहा है तथा हमारे विदेशी मुद्रा कोष में खासी बढ़ोतरी होती रही। जोन प्रणाली को समाप्त करने के बावजूद अनाज की वसूली काफी बड़े पैमाने पर हुई है। हालांकि सरकारी वितरण प्रणाली में काफी बड़ी मात्रा में अन्न दिया जा रहा है फिर भी इस समय 170 लाख टन अनाज भण्डार में है।

मुद्रास्फीति संबंधी दबावों पर नियंत्रण पा लिया गया है। पिछले साल कीमतों में लगभग 12 प्रतिशत वृद्धि के बावजूद इस समय कीमत का स्तर मार्च, 1977 के स्तर

से ऊंचा नहीं है। मुद्रा की सप्लाई में जो कि 20 प्रतिशत अधिक थी, इस वर्ष काफी कमी ला दी गई है। चूंकि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की शक्यता काफी है, इसलिए सरकार कीमतों की मौजूदा स्थिति के बारे में निष्क्रिय होकर नहीं बैठ सकती। अगले साल कीमतों को उचित स्तर पर स्थिर रखने के लिए सभी उपलब्ध साधनों का प्रयोग किया जाएगा।

इस सरकार को विरासत में ऐसी अर्थव्यवस्था मिली जिसमें घोर गरीबी और बेरोजगारी थी, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां अधिकतर लोगों को पिछले 30 सालों में हुए विकास का लाभ नहीं मिला था। इस संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा को दूर करने के लिए तथा गरीबी और बेरोजगारी की पुरानी समस्या को सुलझाने के लिए सरकार ने विकास प्रक्रिया को सही दिशा देने का निर्णय किया है। इसलिए, पांचवीं पंचवर्षीय योजना को इस साल समाप्त कर अप्रैल, 1978 से एक नई पंचवर्षीय योजना शुरू की जा रही है। इस योजना में विकास के लक्ष्य निर्धारण संबंधी सरकार की नई विचारधारा का समावेश होगा। बेरोजगारी और बड़े पैमाने पर अल्प रोजगारी को कम-से-कम समय में दूर करना, इसी अवधि में निम्नतम आय वाले वर्ग के लोगों के लिए अधिक से अधिक मात्रा में आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराना, आय और सम्पत्ति की असमानता में महत्वपूर्ण कमी करना और तकनीकी आत्म-निर्भरता में लगातार प्रगति करना इस योजना के प्रमुख उद्देश्य होंगे। इसलिए, अगली पंचवर्षीय योजना में कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों, कुटीर और लघु उद्योगों, सिंचाई और बिजली, प्रौढ़ शिक्षा, सभी के लिए बुनियादी शिक्षा, गांव में पानी, सड़कों की व्यवस्था करने पर खास तौर से जोर दिया जायेगा। अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक आधारभूत सामग्री जैसे तेल, कोयला, धातुएं, उर्वरक, सीमेंट आदि के उत्पादन पर भी बल दिया जाएगा।

सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है जिसमें कुटीर और लघु उद्योगों के विकास को पूरे देश में अच्छी तरह फैलाने पर जोर दिया गया है। इससे रोजगार के अवसरों में तेजी से वृद्धि करने के हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता भी मिलेगी। इस नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र और वृहत् उद्योग, स्वदेशी और विदेशी तकनीक, विदेशी निवेश, कामगारों की भागीदारी और उसमें संबंधित मामले भी आते हैं, और इससे इस दिशा में किसी भी प्रकार की अनिश्चितता को दूर करने में और फिर से पूंजी निवेश करने में काफी सहायता मिलेगी।

विदेश व्यापार के क्षेत्र में, इस साल भारत के निर्यातों में और प्रगति हुई है। सरकार ने हमारे निर्यातों की सामाजिक लागत को कम-से-कम रखने की सुविचारित नीति अपनाई है और चीनी, चावल, तेल, तिलहनों, ताजी सब्जियों और सीमेंट जैसी आवश्यक वस्तुओं के निर्यात का नियमन किया है। निर्यात से होने वाले अर्जन पर इसके प्रतिकूल प्रभाव की काफी से ज्यादा क्षतिपूर्ति महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निर्यातों के विकास की गति को बढ़ाकर कर ली गई है।

देश में उत्पादित वस्तुओं की पिछले बहुत सालों से चली आ रही कमी और आयातों के कारण अर्थव्यवस्था में ढेर सारे नियंत्रणों और नियमनों को लागू करना पड़ा था। सरकार की उत्कृष्ट इच्छा है कि इनमें से जिनकी उपादेयता समाप्त हो चुकी है, उन्हें हटा दिया जाए ताकि अर्थव्यवस्था की गतिविधियों को निर्धारित करने में लोगों के उद्यमों और पहलशक्ति का पूरा उपयोग हो सके। अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति ऐसी है जिसमें ऐसी नीति को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जा सकता है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए निर्यात और आयात तथा औद्योगिक लाइसेंसों संबंधी नीति और प्रक्रिया की पहले ही जांच की जा चुकी है। नियंत्रणों की समूची व्यवस्था का व्यापक अध्ययन करने और उनको कम करने तथा सरल बनाने की सिफारिशें करने के लिए एक समिति का गठन किया जा चुका है।

औद्योगिक अशांति से उत्पादन में हानि होगी और यह किसी के भी हित में नहीं होगा। मैं मालिकों, कर्मचारियों तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों से अपील करता हूं कि वे सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध कायम करें जिससे विकास पर कोई बुरा असर न पड़े। इस संदर्भ में मैं इस कठिन विषय पर सरकार द्वारा नियुक्त किये गये अध्ययन दल की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। मुझे आशा है कि इस अध्ययन दल की सिफारिशों से मजदूरी और आय की नीति बनाने में सहायता मिलेगी।

विकास की चुनौती का सामना करने तथा विद्यार्थियों को जन-सेवा के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से हमारी सरकार शिक्षा प्रणाली को पूरे तौर पर बदलने की आवश्यकता को बहुत ही महत्व देती है। इतने बड़े पैमाने पर फैली हुई निरक्षरता की समस्या की ओर भी प्राथमिकता से ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए हमें शिक्षा संबंधी नीतियों के बारे में अकादमिक ही नहीं, बल्कि प्रौढ़ शिक्षा के दृष्टिकोण से भी सोचना है। वास्तव में यदि देश को अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर तेज गति से बढ़ना है तो बड़े पैमाने पर साक्षरता के प्रसार के बिना काम चल ही नहीं सकता। शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित प्राधिकारियों से सभी संभव दृष्टिकोणों से सलाह-मशवरा किया है और परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक तथा प्रौढ़ शिक्षा आदि व शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार कर लिये गये हैं और केन्द्र तथा राज्यों की योजनाओं में पहले से अधिक प्रावधान किए जा रहे हैं।

अपने देशवासियों के रहन-सहन के स्तर को सुधारने के लिए और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उन्नति को पूरा महत्व देती है। अनुसंधान की दिशा में अधिक प्रयत्न किए जा रहे हैं ताकि वे हमारे प्राकृतिक साधनों के सर्वेक्षण, कृषि और उद्योग और ऊर्जा स्रोतों की तात्कालिक समस्याओं के लिए अधिक संगत हो सकें। सरकार ने राष्ट्रीय उपग्रह परियोजना पर अमल करना शुरू

कर दिया है। इस परियोजना से संचार, मौसम विज्ञान और तूफान-चेतावनी के क्षेत्र में सेवाओं में महत्वपूर्ण सुधार होंगे जिनका लाभ देश को मिलेगा।

अब मुझे उस विषय का उल्लेख करना है जो देश के भावी कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इमर्जेन्सी में की गई ज्यादतियों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप इस साल परिवार नियोजन कार्यक्रम को बड़ा धक्का लगा है। इस महत्वपूर्ण मामले में इस प्रवृत्ति को नहीं चलने दिया जा सकता। हम चाहते हैं कि लोग परिवार नियोजन अपनी इच्छा से अपनाएं। इसके लिए लोगों को शिक्षित करने और प्रेरणा देने के लिए अधिक कोशिश करने की जरूरत है। मैं राज्य सरकारों और सभी लोगों से अपील करता हूं कि वे इस कार्यक्रम के महत्व को समझें और राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल करने के उपायों में मदद करें।

परिवार कल्याण और सांविधानिक जिम्मेदारी निभाने के सिलसिले में एक दूसरा महत्वपूर्ण विषय नशाबन्दी का है। पिछले साल मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसार अगले 4 सालों में क्रमिक रूप से नशाबन्दी लागू कर दी जाएगी। इस क्रमिक कार्यक्रम के ब्यौरे राज्यों के साथ मशवरा करके तैयार किये जा रहे हैं।

माननीय सदस्यगण, मैं अब दूसरे देशों के साथ अपने देश के संबंधों की चर्चा करूंगा। मेरी सरकार ने पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों के सिलसिले में लगातार पहल करके इस उप-महाद्वीप को शांति और सहयोग का क्षेत्र बनाने के लिए प्रयास करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। गंगा पानी के बंटवारे के संबंध में बांग्लादेश के साथ करार किया गया। समानता, परस्पर सम्मान और एक दूसरे की संवेदनशीलताओं और आकांक्षाओं के समादर पर आधारित यही भावना हमने भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, बर्मा*, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे दूसरे पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में भी अपनाई है। विशेष रूप से ईरान के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। यह एक दूसरे को समझने के लिए प्रबुद्ध दृष्टिकोण अपनाने से ही संभव हो सकता था।

हालांकि सीमा से संबंधित मतभेद सुलझ नहीं पाए हैं फिर भी हम चीन के साथ पंचशील के आधार पर द्विपक्षीय संबंध धीरे-धीरे सुधार रहे हैं। मेरी सरकार ने दक्षिणी-पूर्वी एशिया के देशों के साथ निकटता के बढ़ते हुए संबंधों के महत्व को माना है। जनतांत्रिक गणराज्य वियतनाम और इन्डो-चीन के अन्य देशों और इस क्षेत्र के राष्ट्रमंडलीय देशों के साथ सहयोग के सेतुओं के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इस क्षेत्र की राष्ट्र-मंडलीय सरकारों के प्रमुख पिछले दिनों पहली बार मिले और उन्होंने आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। जहां तक जापान से हमारे संबंध की बात है अब यह अधिक अच्छी तरह समझा और महसूस किया जा

*अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है।

रहा है कि भारत–जापान संबंध एशिया में शांति प्राप्त करने और विकास को प्रोत्साहित करने में सहायक हो सकते हैं।

जहां तक बड़ी शक्तियों से संबंधों की बात है उसे सरकार ने सच्ची गुटनिरपेक्षता की नीति में आस्था, लाभकारी द्विपक्षीयता और रचनात्मक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अभिवृद्धि में दृढ़ विश्वास पर आधारित किया है। हमें पूरा यकीन है कि सोवियत रूस और अन्य समाजवादी देशों के साथ हमने जो बहुमुखी सहयोग और सौहार्द स्थापित किया है, वह मजबूत और समृद्ध होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों के समान सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली में हमारी भी आस्था है और इन देशों के साथ अपने संबंधों में हमने मित्रता और सौहार्द स्थापित कर लिया है। भले ही पहले हमारे बीच मतभेद रहे हों लेकिन हमें उम्मीद है कि हम इन संबंधों को पारस्परिक विश्वास के उस उच्च स्तर तक ले जा सकते हैं जो कि किन्हीं खास मामलों पर मतभेदों से कहीं ऊपर होगा और एक दूसरे में समझ–बूझ और विश्वास का क्षेत्र विस्तृत करेगा।

विश्व के विशिष्ट क्षेत्रों, विशेष रूप से दक्षिणी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में अभी भी तनाव बना हुआ है। हमने उपनिवेशवाद और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष में अफ्रीकी देशों के मुक्ति–आन्दोलन का समर्थन करना जारी रखा है और नामीबिया, जिम्बाबवे और दक्षिणी अफ्रीका में मुक्ति आन्दोलनों को अपना राजनीतिक समर्थन और ठोस सहायता देने का वायदा किया है। जातिवाद और उपनिवेशवाद के सामान्य शत्रु के विरुद्ध अफ्रीकी नेताओं में एकता की जरूरत के बारे में जितना कहा जाए, थोड़ा है। पश्चिमी एशिया के संबंध में हमारा अब भी यही मत है कि इस क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए एक न्यायसंगत और चिरस्थायी समझौता होना चहिए। यह समझौता सारे अधिकृत क्षेत्र से इजराइली सेनाओं की वापसी पर आधारित हो और संयुक्त राष्ट्र के उन संकल्पों के अनुसार हो जो कि फिलस्तीनी लोगों के वैध अधिकारों को तथा इस क्षेत्र के सभी देशों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मंचों, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, गुट–निरपेक्ष विश्व, राष्ट्रमंडल और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संबंधी सम्मेलनों में मेरी सरकार ने भारत की रचनात्मक सहभागिता को मजबूत किया है।

हमारा यह दृढ़ मत है कि वे विराट समस्याएं, जिनका विकासशील और विकसित देश सामना कर रहे हैं, केवल तभी हल की जा सकती हैं जब विश्व के सभी भागों में शांति और स्थिरता हो। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि बड़ी अणु शक्तियां आणविक परीक्षण पर रोक लगाने, सभी आणविक हथियारों को कम करने और उन्हें अंतिम रूप से समाप्त करने तथा प्रभुसत्ता, समानता और पक्षपातहीनता के प्रति सम्मान रखते हुए परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण कार्यों के उपयोग

के लिए शीघ्र ही सहमत हो जाएं। आणविक निरस्त्रीकरण के लिए विश्व के सभी देश व्यग्र हैं। इस साल ही कुछ समय बाद निरस्त्रीकरण सम्मेलन करने का प्रस्ताव है। हमें उम्मीद है कि उसमें प्रमुख आणविक शक्तियां निरस्त्रीकरण के लिए एक सर्वसम्मत और समयबद्ध कार्यक्रम की घोषणा करेंगी। अपनी ओर से हमने आणविक शक्ति को केवल शांतिपूर्ण कार्यों में प्रयोग करने के दृढ़ निश्चय को फिर दोहराया है और यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बिना किसी का इंतजार किए आणविक परीक्षण करने से हम स्वयं दूर रहेंगे। बहरहाल इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हम किसी भी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध हैं।

माननीय सदस्यगण, इस सत्र के दौरान आपको आय और व्यय विवरण और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुदानों के लिए मांगों पर विचार करना होगा जिससे उन नई दिशाओं का निर्धारण होगा जिनमें देश को आने वाले वर्षों में प्रगति करनी है। आपको उन वैधानिक उपायों को अंतिम रूप देना होगा जो आपके पास विचाराधीन हैं। आपको प्रस्तुत किए जाने वाले कुछ नए वैधानिक उपायों पर भी विचार करना होगा, जिनमें से कुछ के विषय में मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं। इनमें से कई उपाय हमारी लोकतांत्रिक नीति और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार आपके सामने बहुत ही लम्बी कार्यसूची होगी। इसलिए मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। आपके योगदान के लिए मैं आपका आह्वान करता हूं और आपकी पूर्ण सफलता की कामना करता हूं।

जय हिन्द।